रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246781
SG-DL-E-23062023-246781

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 103
No. 187]	DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945	[N. C. T. D. No. 103

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2023

संख्या–06 / 2023–राज्य कर

सं. फा. 03(03) / वित्त(व्यय–I) / 2023–24 / डीएस–I / 552.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर यह अधिसूचित करते हैं कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिनों की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्गों के रूप में जिनके संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रिया ओं का पालन करते हैं,अर्थात्:–

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे;

(ii) विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के संलग्न होगी,

यह ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई है या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपील यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय–I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd June, 2023

No. 06/2023-State Tax

No. F. 3 (03)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/552.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered persons who failed to furnish a valid return within a period of thirty days from the service of the assessment order issued on or before the 28^{th} day of February, 2023 under sub-section (1) of section 62 of the said Act, as the classes of registered persons, in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, if such registered persons follow the special procedures as specified below, namely,-

(i) The registered persons shall furnish the said return on or before the 30^{th} day of June 2023;

(ii) The return shall be accompanied by payment of interest due under sub-section (1) of section 50 of the said Act and the late fee payable under section 47 of the said Act,

irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said Act or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA